

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ.2(1012)डीओआईटी/संस्था/12/111-333

जयपुर, दिनांक: 13/5/14

आदेश

वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ1(10)एफडी(रूल्स)/08 दिनांक 1.05.2014 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम खण्ड-11 में संशोधन किया जाकर तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान सेवा नियम खण्ड-11 परिशिष्ट-14 में Sr. No. 114 of the list 'B', list of Heads of Departments (other than class-I) पर जोड़े जाने के उपरान्त तकनीकी निदेशक को अराजपत्रित कार्मिकों के सेवा संबंधी निम्न प्रकरणों को विभागाध्यक्ष के रूप में निस्तारित करने के लिये एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है:-

1. पासपोर्ट बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
2. अध्ययनार्थ अवकाश के सिवाय समस्त प्रकार के अवकाश (अधिकतम 90 दिवस की सीमा तक)
3. प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. प्राथमिक जाँच।

आज्ञा से,

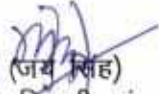


(अखिल अरोरा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी, संस्थापन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट)/प्रभारी अधिकारी, संस्थापन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।



प्रभारी अधिकारी, संस्थापन